

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
 "वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
 (दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:- प4(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/ 2362

दिनांक:- 14-9-2018

संशोधित आदेश संख्या :- 212

विभागीय आदेश संख्या 352/2017-18 क्रमांक प.4(ई)(1)(6) एसीपी/अलेसे-III/234 दिनांक 16.02.2018 के द्वारा श्री. जगदीश प्रसाद सैनी क0लेखाकार (मेरिट क्रमांक 249/90) को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर संतोष जनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोष जनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.06.2017 से द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-12 में स्वीकृत की गई थी।

राज्य सरकार वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.15(85) एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 27.04.2018 के द्वारा विकल्प/पुनः विकल्प हेतु अवधि तीन माह तक बढ़ाये जाने के क्रम में श्री सैनी द्वारा पुनरीक्षित वेतन मान नियम 2017 में दिनांक 01.06.2017 से वेतन लेने का विकल्प प्रस्तुत किया है। अतः श्री सैनी को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14(88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतन मान नियम 2008 के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित द्वितीय ए.सी. पी. पे बैण्ड 2(9300-34800) में ग्रेड में रुपये 4800/- स्वीकृत की जाती है।

क.सं	नाम/लिक नं.	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री जगदीश प्रसाद सैनी (4610)	249/90	21.06.1993	01.06.2017	दि. 01.06.02 के पश्चात तीसरी संतान की उत्पत्ति के कारण

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के अंतर्गत द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई हैं।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं हैं।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक:- 14-9-2018

क्रमांक:- प4(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/ 2362

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)